Schedule XLII-High Court No.(J) 9[Old(M)164]

FORM OF ORDER SHEET

IN THE COURT OF THE DIVISIONAL COMMISSIONER, PURNEA.

Anganbari Appeal No.- 34 /2019

Nutan Kumari...Appellant

Versus

The State of Bihar & Ors...Respondents.

Serial No.	Date of order of proceeding.	Order with signature of the court.	Office action taken with date
1	2	3	4
	21.03.2023	**आदेश** प्रस्तुत आंगनबाड़ी अपील जिला पदाधिकारी, पूर्णिया द्वारा पारित आदेश ज्ञापांक–540/जि0प्रो0 दिनांक–31.03.2015 को पारित आदेश के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर सी0डब्लू0जे0सी0 सं0–9219/2015 में दिनांक–18.09.2019 तथा 12.12.2019 को पारित आदेश के आलोक में दायर किया गया है। विलंब क्षांत हेतु पृथक आवेदन दाखिल है। उभय पक्षों को सुना। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि बाल विकास परियोजना, रूपौली अंतर्गत ग्राम पंचायत कोयली सिमरा पश्चिम के आंगनबाड़ी केन्द्र सं0–100 के लिए सेविका पद पर बहाली हेतु प्रकाशित विज्ञापन के अनुसार अपीलार्थी के साथ उत्तरवादी सं0–06 द्वारा आवेदन किया गया। तत्पश्चात औपबंधित रूप प्रकाशित मेधा सूची में उत्तरवादी सं0–06 प्रथम स्थान पर एवं अपीलार्थी द्वितीय स्थान पर थी। दिनांक–23.05.2012 को आयोजित आमसभा में उक्त आंगनबाड़ी केन्द्र के लिए अपीलार्थी नूतन कुमारी का चयन कर लिया गया। अपीलार्थी द्वारा केन्द्र पर कार्य करते हुए इनके द्वारा दिनांक–17.08.2012 से दिनांक–24.08.2012 एवं दिनांक 16.04.2013 से दिनांक–17.05.2013 तक प्रशिक्षण भी प्राप्त किया गया। इन्होंने उल्लेख किया है कि उत्तरवादी सं0–06 पोषक क्षेत्र की नहीं रहने के कारण प्रथम मेधा क्रम पर रहने के बावजूद इनका चयन नहीं किया गया। उत्तरवादी सं0–06 कटिहार जिलान्तर्गत कुर्सेला की स्थायी निवासी है तथा वहीं से सभी सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करती है। ग्राम पंचायत कोयली सिमरा के	

Web Copy. Not Official.

		मुखिया एवं उप मुखिया द्वारा दिनांक–18.07.2012 एवं दिनांक–29. 05.2012 को प्रमाणित मिया है कि उत्तरवादी सं0–06 उस पोषक क्रमशः	
	<u>लगातार</u> 21.03.2023	क्षेत्र की नहीं है। वह ग्राम–मुरादपुर पश्चिम, कुर्सेला, कटिहार की रहने वाली है। इनके द्वारा अवैध तरीके से अंचलाधिकारी, रूपौली एवं पुलिस अधीक्षक, पूर्णिया से क्रमशः आवासीय एवं चरित्र प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया, जो पूर्णतः अवैध है। अपीलार्थी के सेविका पद पर चयन के उपरांत उत्तरवादी सं0–06 द्वारा जिला पदाधिकारी, पूर्णिया के समक्ष आपत्ति दर्ज किया गया, जिसपर जिला पदाधिकारी द्वारा पत्रांक–3406/गो0, दिनांक–03.11.2014 के माध्यम से स्थलीय जाँच हेतु श्री अनिल कुमार दास, वरीय उप समाहर्त्ता–सह–नोडल पदाधिकारी, रूपौली प्रखंड को आदेश दिया गया, जिसपर पदाधिकारी द्वारा पत्रांक–03, दिनांक–12.02.2015 द्वारा प्रतिवेदन समर्पित करते हुए अंकित किया गया कि उनके द्वारा जाँच प्रतिवेदन स्थलीय जाँच के आधार पर नहीं बल्कि उत्तरवादी सं0–06 द्वारा समर्पित कागजात के आधार पर समर्पित किया गया है। समर्पित जाँच प्रतिवेदन के आधार पर जिला पदाधिकारी, पूर्णिया द्वारा ज्ञापांक– 540/जि0प्रो0, दिनांक–31.03.2015 के माध्यम से अपीलार्थी के चयन को रद्द करते हुए उत्तरवादी सं0–06 चंदा सिन्हा का चयन करने का आदेश निर्गत किया गया। उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में सी0डब्लू0जे0सी0 सं0–9219/2015 दायर किया गया। माननीय उच्च न्यायालय, पटना के न्याय निर्णय दिनांक–18.09.2019 द्वारा अपीलार्थी को इस न्यायालय में अपील दायर करने का निदेश दिया गया। इनका आगे कथन है कि निम्न न्यायालय आदेश तथ्यों से परे एवं विधि के विरूद्ध है। उत्तरवादी सं0–06 संबंधित पोषक क्षेत्र की निवासी नहीं है। उनका नाम कुर्सेला, कटिहार के ग्राम पंचायत, निर्वाचन नामावली, 2011 में दर्ज है। इनका नाम उस पोषक क्षेत्र की मैपिंग पंजी में भी अंकित नहीं है। वहीं अपीलार्थी आंगनबाड़ी केन्द्र सं0–100 के पोषक क्षेत्र की निवासी है तथा मैपिंग पंजी में भी इनका नाम दर्ज है। इस प्रकार उपरोक्त वर्णित स्थिति में इस न्यायालय में अपील वाद दायर करते हुए अपील वाद को स्वीकृत कर	

Web Copy. Not Official.

		जिला पदाधिकारी के आदेश को खंडित कर संबंधित आंगनबाड़ी केन्द्र हेतु इन्हें सेविका चयन के लिए आदेश पारित करने की प्रार्थना की गई है। दूसरी तरफ उत्तरवादी सं0–06, चंदा सिन्हा के विद्वान अधिवक्ता क्रमशः	
	लगातार 21.03.2023	का कथन है कि निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि की दृष्टि से पोषणीय है। बाल विकास परियोजना, रूपौली अंतर्गत ग्राम पंचायत कोयली सिमरा पश्चिम आंगनबाड़ी केन्द्र सं0–100 के लिए सेविका पद पर चयन हेतु दिनांक–23.05.2012 को आयोजित आमसभा में यह मेधा क्रम में प्रथम स्थान पर थी। अपीलार्थी नूतन कुमारी का चयन इस प्रकार अवैध माना जा सकता है क्योंकि मेधा सूची में वह द्वितीय स्थान पर थी। आयोजित आमसभा में चंदा सिन्हा के पोषक क्षेत्र में न होने के संबंध में आपत्ति होने पर यह स्पष्ट किया गया कि पोषक क्षेत्र के पंजी के अनुसार इनके पति के बड़े भाई का नाम क्रम सं0–89 पर स्थित है। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी जब इससे संतुष्ट नहीं हुई तो उक्त बिन्दु पर पत्रांक–3406, दिनांक–03.11.2014 के माध्यम से वरीय उप समाहर्त्ता–सह–नोडल पदाधिकारी से जॉंच कराई गई। जॉंच पदाधिकारी द्वारा पत्रांक–8540 दिनांक–27.06.2011 के माध्यम से जॉंच प्रतिवेदन समर्पित करते हुए स्पष्ट किया कि चंदा सिन्हा, रूपौली, प्रखंड, सिमरा पोस्ट ऑफिस के ग्राम सिमरा की निवासी है, जिसकी पुष्टि जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा निर्गत ज्ञापांक–14512/सा, दिनांक–30.08.2013 एवं बिहार शिक्षा परियोजना परिषद, पूर्णिया द्वारा इनके पक्ष में ‘‘अनुदेशिका’’ के पद हेतु निर्गत पत्रांक–17, दिनांक–05.01.2007 एवं समर्पित अन्य कागजात द्वारा की जा सकती है। उपरोक्त वर्णित स्थिति में जिला पदाधिकारी द्वारा मामले के सभी तथ्यों एवं समर्पित कागजातों की गहण जॉंचोपरांत आदेश ज्ञापांक–540, दिनांक–31.03.2015 के द्वारा अपीलार्थी के चयन को रद्द करते हुए इनकों चयनित किया गया जो विधिनुकूल है। इस प्रकार अपीलार्थी द्वारा दायर अपील वाद को खारिज करने का अनुरोध किया गया है। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, रूपौली द्वारा पत्रांक–525, दिनांक–22.12.2021 द्वारा मंतव्य समर्पित करते हुए अंकित किया	

Web Copy. Not Official.

		है कि प्रस्तुत मामला बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, रूपौली के अधीन आँँगनबाड़ी केन्द्र सं0-100, ग्राम पंचायत कोयली सिमरा में दिनांक-23.05.2012 को आयोजित आमसभा में सेविका के पद पर चयनित सेविका नूतन कुमार के चयन के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय, पटना में सी0डब्लू0जे0सी0 सं0-20275/2012 चंदा सिन्हा बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में दिनांक-23.01.2014 को क्रमशः	
	<u>लगातार</u> 21.03.2023	पारित आदेश में जिला पदाधिकारी, पूर्णिया द्वारा मामले की जाँँच हेतु नामित वरीय उप समाहर्त्ता-सह-नोडल पदाधिकारी, रूपौली के जाँँच प्रतिवेदन पर जिला पदाधिकारी, पूर्णिया के पारित आदेश ज्ञापांक-540/जि0प्रो0, दिनांक-31.03.2015 में पूर्व चयनित सेविका नूतन कुमार के चयन रद्द करते हुए उक्त पद पर चंदा सिन्हा को चयनित करने का निर्णय लिया गया। जिला पदाधिकारी, पूर्णिया ने उक्त आदेश के आलोक में संबंधित केन्द्र पर चंदा सिन्हा सेविका के पद पर कार्यरत है। उभय पक्षों को सुनने तथा निम्न न्यायालय आदेश एवं अभिलेख में संलग्न सुसंगत सभी कागजातों/दस्तावेजों के अवलोकन तथा समीक्षोपरांत यह स्पष्ट है कि उत्तरवादी सं0-06, चंदा सिन्हा का चयन जिला पदाधिकारी, पूर्णिया द्वारा गठित जाँँच दल के प्रतिवेदन एवं जिला पदाधिकारी, पूर्णिया द्वारा पारित आदेश के आलोक में किया गया है। अपीलार्थी द्वारा उत्तरवादी सं0-06, चंदा सिन्हा के पोषक क्षेत्र की नहीं होने का कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत करने में असमर्थ रहीं। वर्णित तथ्यों के आधार पर जिला पदाधिकारी, पूर्णिया द्वारा पारित आदेश में किसी प्रकार का हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होता है। इसी के साथ अपीलार्थी के अपील आवेदन को अस्वीकृत करते हुए वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। आदेश की प्रति के साथ निम्न न्यायालय मूल अभिलेख वापस भेजें। लेखापित एवं शुद्धित। आयुक्त, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया। आयुक्त, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया।	

Web Copy. Not Official.

Web Copy. Not Official.